भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1451
31/07/2026 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई के अंतर्गत दावों का निपटान

1451. श्री बृज लालः
श्री अमर पाल मौर्यः
श्री राजीब भट्टाचार्जीः
श्रीमती सीमा द्विवेदीः
डा. संदीप कुमार पाठकः
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः
श्री सुभाष बरालाः
श्री रायगा कृष्णैयाः
डा. अनिल सुखदेवराव बोंडेः
श्री मिथलेश कुमारः
डा. दिनेश शर्माः
श्रीमती माया नारोलियाः
श्री मयंक कुमार नायकः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत पंजीकृत किसानों तथा निपटाए गए दावों की संख्या कितनी है;
(ख) क्या दावों के निपटान में होने वाली देरी को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन (सैटेलाइट/ड्रोन) को अपनाया गया है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) केंद्र द्वारा वितरित प्रीमियम सब्सिडी का उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): वर्ष 2025-26 के दौरान, 13.93 करोड़ किसान आवेदनो को नामांकित किए गए हैं और दिनांक 24.07.2026 तक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 8,660 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है।

(ख) और (ग): जी हाँ, PMFBY स्कीम के कार्यान्वयन में बेहतर टेक्नोलॉजी अपनाने की परिकल्पना की गई है। इसी के तहत, दावों का समय पर आकलन करने और फसल की उपज का सही अनुमान लगाने के लिए, खरीफ 2023 से रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग करके 'यील्ड एस्टीमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी' (YES-TECH) कार्यान्वित किया जा रहा है। YES-TECH का उदेश्य क्रमिक रूप से रिमोट सेंसिंग पर आधारित उपज के अनुमान की ओर बढ़ना है, ताकि फसल की उपज का अनुमान निष्पक्ष और सटीक तरीके से लगाया जा सके। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए और खरीफ 2024 सीज़न से सोयाबीन की फसल के लिए शुरू की गई है, जिसमें YES-TECH से प्राप्त उपज के अनुमान को कुल अनुमान में अनिवार्य रूप से 30% वेटेज दिया गया है। वर्ष 2025-26 में 12 राज्यों के 344 ज़िलों में YES-TECH कार्यान्वित किया गया था।

(घ): PMFBY एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, इसलिए राज्यों को कोई फंड जारी नहीं किया जाता है। प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार का शेयर, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (TSA) मॉडल के अनुसार केंद्रीय नोडल एजेंसी के माध्यम से बीमा कंपनियों को दिया जाता है। हालाँकि, वर्ष 2025-26 के दौरान प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के शेयर का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

PMFBY और RWBCIS: वर्ष 2025-26 के दौरान (30.06.2026 के अनुसार) सब्सिडी में केंद्र सरकार के शेयर का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बीमा कंपनियों को जारी प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार का हिस्सा (करोड़ रुपये में)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.003
आंध्र प्रदेश	170.39
असम	38.63
छत्तीसगढ	731.01
गोवा	0.00
हरियाणा	363.31
हिमाचल प्रदेश	82.45
जम्मू एवं कश्मीर	72.11
झारखंड	278.54
कर्नाटक	779.87
केरल	63.90
मध्य प्रदेश	1,100.12
महाराष्ट्र	1,221.09
मणिपुर	1.53
मेघालय	12.82
मिजोरम	0.003
ओडिशा	233.76
पुदुचेरी	1.53
राजस्थान	1,875.51
सिक्किम	0.03
तमिलनाडु	382.30
त्रिपुरा	0.86
उत्तर प्रदेश	304.52
उत्तराखंड	308.66
कुल	**8,022.94**
